कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड डालीबाग,लखनऊ।

पत्रांक कै/2991/सी /विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक. 02/9/ ,2019

1.समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2.समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषय–वर्ष 2019–20 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–''पर ड्राप मोर काप'' (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत गन्ने में ड्रिप सिंचाई संयत्र स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा आवंटित अनुदान धनराशि के वितरण हेतु गन्ना कृषकों को पारदर्शी किसान सेवा पर ऑनलाइन पंजीकरण कराये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति के संबध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–कै/201/सी/विकास अनुभाग दिनांक 19–07–2019 एवं इसके साथ सलंग्न निदेशक उद्योग एवं खाद्य संस्करण, उ.प्र. के पत्रांक–242/एमआई–45/सुगरकेन/ 2019–20 दिनांक 16 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–''पर ड्राप मोर काप'' (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई संयत्र की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य 10,000 हेक्टेयर के सापेक्ष 3105 हेक्टेयर हेतु रू. 2884.19 लाख की धनराशि समस्त जिला उद्यान अधिकारियों को आवंटित कर उसकी पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तद्क्रम में निदेशक, उद्योग एवं खाद्य संस्करण, उ.प्र. के पत्रांक–299/एमआई–45/सुगरकेन/2019–20 दिनांक 22अगस्त, 2019 (छाया प्रति सलंग्न) क्रम में निम्न निर्देशों का अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाना है–

1– यथोक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा पात्र लाभार्थियों का विवरण आवश्यक अभिलेख यथा आधार, खतौनी, बैंक का विवरण, कृषक का नाम पता एवं मोबाइल नम्बर सहित सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को पंजीकरण करने एवं डी.बी.टी. के माध्यम से अनुदान भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

2– पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र एवं निर्माता फर्म की सूची सलंग्न है। निर्माता फर्म का चयन लाभार्थी कृषक द्वारा किया जाना है।

3– यदि कृषक लधु सीमान्त कोटि का है तो उस कृषक से 10रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र (प्रारूप सलंग्न) लेना अनिवार्य होगा, जिसे उद्यान विभाग को उपलब्ध कराया जाना होगा।

4– उक्त कार्यो को सुगमतापूर्वक सम्पादित करने हेतु जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर किसी एक भिज्ञ कर्मी को नामित करते हुए उस कर्मी का नाम पद नाम एवं

khare

मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को इस आशय के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें कि वह कर्मी इन समस्त कार्यो को सम्पादित कराने में उत्तरदायी होगा तथा उद्यान विभाग से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए अनुदान भुगतान एवं लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– नामित कर्मी का यह दायित्व होगा कि वह जनपद स्तर पर संदर्भित योजना में अनुदान लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक गन्ना कृषकों की सूची (समस्त अनिवार्य अभिलेखों सहित) प्राप्त कर सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए अग्रिम समस्त आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

6– वर्णित योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की एक प्रति जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में संरक्षित की जायेगी।

7– समस्त उप गन्ना आयुक्त अपने अधीनस्थ जनपदों में यह सुनिश्चित करेगें कि वह संदर्भित योजना में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित संख्या में पात्र कृषकों का विवरण उद्यान विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही साथ निरन्तर कार्यक्रम का अनुश्रवण करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति की प्रगति का विवरण तथा नामित कर्मियों का विवरण संकलित कर इस स्तर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

सलंग्नकः–यथोपरि

(मनीष चौहान)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.

पत्रांक ---/299/C तद्दिनांकः 02/9/2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य संस्करण, उ.प्र. को उनके पत्र संख्या–299 दिनांक 22 अगस्त, 2019 के कम में।
3. समस्त सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी।
4. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, उ.प्र. लखनऊ।

(आर. पी. यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास)

khare

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश
उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ - 226001
☎ 0522-4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : 299 / MI-45/Sugarcane/2019-20 दिनांक : 22 अगस्त, 2019

जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, जी.बी.नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सम्भल, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, खीरी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी।

विषय : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) हेतु कृषकों के चयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं.-242/एम.आई.-45 दिनांक 16.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरिसन्दर्भित योजनान्तर्गत बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप सिंचाई सुविधा के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्क्रम में प्रदेश के किसानों का कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर जनपद स्तरीय अधिकारी के लॉग-इन से ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था में गन्ना कृषकों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। कृषकों के पंजीकरण हेतु आधारभूत सूचनायें प्राप्त करना अपरिहार्य है जिसके लिए चेकलिस्ट/आवेदन प्रपत्र संलग्न हैं।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/उप गन्ना आयुक्त से समन्वय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर योजनान्तर्गत संलग्न बिन्दुओं पर कृषक का विवरण आवश्यक अभिलेखों सहित प्राप्त कर अपने लॉग-इन से गन्ना विभाग द्वारा चयनित कृषकों का ऑन लाइन पंजीकरण तत्परता से कराने का कष्ट करें, और पंजीकृत गन्ना किसानों को लाभान्वित करते हुए निर्धारित वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : यथोक्त।

(एस.बी. शर्मा)
निदेशक।
22/08/19

पृष्ठांकन सं0- 299 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- अपर गन्ना आयुक्त (विकास), कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0 को उनके पृष्ठांकन पत्रांक-272/सी दिनांक 20.08.2019 के क्रम में इस अनुरोध से प्रेषित कि गन्ना विभाग द्वारा चयनित कृषकों का संलग्न प्रारूप पर विवरण एवं आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
3- समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
4- अन्य समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0 को संलग्न विवरण के अनुसार अभिलेख प्राप्त कर सतत् पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रेषित है।

(एस.बी. शर्मा)
निदेशक।
22/08/19

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत आन लाइन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. कृषक का नाम :

2. दूरभाष सं0/मोबाईल नं0 :

3. पिता/पति का नाम :

4. जाति (अनु0जाति/जनजाति/सामान्य) :

5. लिंग (महिला/पुरूष) :

6. गाँव का नाम :

7. विकास खण्ड/जनपद :

8. कृषक की श्रेणी (लघु सीमान्त/अन्य)(लघु सीमान्त कृषक होने का शपथ पत्र संलग्न करे) :

9. आधार नम्बर (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

10. भू-अभिलेख के रूप में खतौनी की स्वः प्रमाणित प्रति, जो छः माह से पुरानी न हो, संलग्न करें।

अ-खाता संख्या :

ब-गाटा संख्या :

11. बैंक का विवरण (पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

अ-बैंक का नाम/शाखा :

ब-खाता संख्या :

स-आई.एफ.एस.सी. कोड :

12. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि :

(जो राजस्व अभिलेखो में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो।)

13. फसल का नाम (जिसमें ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति लगानी है।) :

14. क्षेत्रफल हेक्टेयर में (जिसमें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर लगाया जाना प्रस्तावित है।) :

15. सिंचाई पद्धति का नाम

अ-ड्रिप : आन लाइन/इन लाइन लेटरल स्पेसिंग के साथ :

ब-पोर्टेबल स्प्रिंकलर (63 एम.एम./75 एम.एम./90 एम.एम.) :

स-माइक्रो स्प्रिंकलर (5x5/3x3मीटर) :

द- मिनी स्प्रिंकलर (10x10/8x8 मीटर) :

य-लार्ज वैल्यूम (रेनगन 63 एम.एम./75 एम.एम./90 एम.एम.) :

16. निर्माता फर्म का नाम (जिससे कृषक सिंचाई पद्धति लगाने का इच्छुक है) :

17. सिंचाई हेतु जल श्रोत :

18. क्या लाभार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर विगत 07 वर्षों में योजना का लाभ लिया गया है (हाँ/नही) :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सही है और कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त कृषक अंश की धनराशि एवं नियमानुसार वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि मेरे द्वारा वहन की जायेगी।

दिनांक

लाभार्थी का हस्ताक्षर

लाभार्थी का नाम